FORM NO. III

AAP-A

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्याः—16/2019
प्रार्थी :—

गणेशराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति—सिरवी, निवासी— ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती।

आदेश　　　　दिनांकः— 07.02.2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि मेरे पिता का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम पुत्र श्री नवलाराम है, लेकिन दिनांक 09.06.1992 को जमाबंदी राजस्व रेकर्ड में मेरे पिता का नाम पनाराम अंकित कर दिया है, जो गलत है जमाबंदी में इन्द्राज करते समय नाम पूनाराम की जगह पनाराम कर दिया अब मै मेरे पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में पूनाराम अंकित करवाना चाहता हूँ क्योंकि लिपिकीय त्रुटिवश हुआ इस बाबत् पूर्व में राजस्व कैम्प अभियान दिनांक 15.05.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे पिता का नाम पूनाराम अंकित किये जाने का आदेश करावें।

उक्त अनवान प्रकरण में अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर की ओर से जवाब निम्नानुसार बिन्दुवार प्रेषित इस प्रकार है कि नामांतरकरण संख्या 780 बंटवाडा के द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम पूर्व की जमाबंदी व चालू जमांबदी में पनाराम पुत्र नवलाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार दर्ज हैं। जमाबंदी की प्रति संलग्न हैं। वादी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थी की प्रार्थना है जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही हैं।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, जवाब प्रार्थना—पत्र एवमं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में पनाराम दर्ज है उसके स्थान पर पूनाराम दर्ज करवाने की मांग की है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम है। तहसीलदार जोधपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में पिता की पूर्व जमाबंदी में व चालू जमाबंदी में पनाराम ही दर्ज होना बताया है। ऐसी अवस्था में राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज किसी प्रकार है इसका साक्ष्य एवं सही नाम क्या है उसका साक्ष्य दस्तावेजात् पेश नहीं करने के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

हनुमानसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 07.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.02.24 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested